न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 34 / 2023

1 शिशराम पुत्र भैराराम
2 विद्याधर पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी खरकड़ी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट

बनाम

1 होशियार सिंह पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी खरकड़ी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
2 देवकरण पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासी खरकड़ी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
3 मंजुदेवी पत्नी नेमीचन्द जाति जाट निवासी खरकड़ी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
4 रचना पुत्री नेमीचन्द जाति जाट निवासी खरकड़ी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
5 रोनक पुत्र नेमीचन्द जाति जाट निवासी खरकड़ी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
6 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा धनूरी जरिये शाखा प्रबंधक धनूरी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
7 विजया बैंक शाखा झुन्झुनू जरिये शाखा प्रबंधक तहसील व जिला झुन्झुनूं।
8 झुन्झुनूं केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड शाखा झुन्झुनू जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील व जिला झुन्झुनूं।
9 पंजाब नेशनल बैंक शाखा झुन्झुनू जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील व जिला झुन्झुनूं।
10 राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्त. अधिनियम 1955
अपील बखिलाफ निर्णय दिनांक 24.01.2023 राजस्व वाद
संख्या 01/2022 जीसीएमएस नम्बर 2022/09 न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी मलसीसर उनवानी होशियार सिंह बनाम
शीशराम वगै. अ.धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :

1. श्री बाबुलाल सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री ममता वर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 20.12.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 01/2022 में पारित निर्णय दिनांक 24.01.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 3 ने एक प्रार्थना पत्र अ.धारा 251 ए बाबत भूमि खसरा नम्बर 150, 151, 154, 215/152 वाके ग्राम खड़खड़ी तहसील मलसीसर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र 251 ए स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने केवल रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 होशियार सिंह को ही रास्ता दिया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

देने का आदेश पारित किया जबकि विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 होशियार सिंह, देवकरण, मंजुदेवी ने तीनों ने रास्ते की मांग की थी इसलिये उक्त निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 व 5 रचना व रोनक रेस्पोडेनट नम्बर 3 मंजु की पुत्री व पुत्र है रचना व रोनक को विचारण न्यायालय के समक्ष अनावेदकगण बनाया जबकि रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 मंजु रास्ते बाबत मांग कर रही है तथा रचना व रोनक रास्ते की मांग नही कर रहे है एक परिवार के सदस्य होने के बाद भी गलत तथ्य अंकित कर विचारण न्यायालय के समक्ष गलत प्रार्थना पत्र पेश किया जो खारिज होने योग्य है। भूमि खसरा नम्बर 153, 214/152, खसरा नम्बर 215/152, खसरा नम्बर 152, खसरा नम्बर 216/152, खसरा नम्बर 217/152, खसरा नम्बर 151 में जाने हेतु खसरा नम्बर 148 व 236/149 में से रास्ते की मांग की थी परन्तु खसरा नम्बर 216/152 व खसरा नम्बर 217/152 के खातेदार प्यारेलाल व रामस्वरूप को पक्षकार भी नहीं बनाया इसलिये विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की इस कारण विचाराधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष खसरा नम्बर 216/152, 217/152 के खातेदार जो आवश्यक पक्षकार है जो व्यक्ति प्रार्थना पत्र में पक्षकार ही नहीं है उनके लिये रास्ते की मांग किया जाना असम्भव है ना तो रास्ते की मांग की जा सकती और ना ही रास्ता दिया जा सकता इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने निर्णय पारित किये जाने में कानूनी गलती की है इसलिये उक्त निर्णय वैद्य व विधिक नहीं होने से खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने मंजु व देवकरण को रास्ते बाबत कोई भी आदेश पारित नहीं किया जबकि विचारण न्यायालय ने केवल होशियार सिंह को रास्ता देने का निर्णय पारित किया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 व 5 रचना व रोनक की एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई थी जबकि रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 व 5 रचना व रोनक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 मंजु की पुत्र व पुत्री है इन तथ्यों की ओर गोर किये वगैरह ही निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। अपीलान्ट शीशराम, विद्याधर ने जिला कलेक्टर महोदय झुन्झुनू के यहां अन्तरण प्रार्थना पत्र अ.धारा 235 व आरटीएक्ट 1955 का प्रार्थना पत्र भी पेश था वर्तमान प्रमोद पुत्र प्यारेलाल एसडीओ मलसीसर का ड्राईवर है पीठासीन अधिकारी की सरकारी गाड़ी के चालक प्रमोद कुमार का निजी प्रकरण होने के कारण उक्त निर्णय विचारण न्यायालय ने पारित किया जो खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने खसरा नम्बर 217/152, 216/152, 152, 214/152, 153 में कोई भी रास्ता कायम नहीं किया जबकि विचारण न्यायालय के समक्ष देवकरण व मंजु ने भी रास्ते बाबत मांग की थी इन तथ्यों व पत्रावली का अवलोकन किये वगै ही निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। खसरा नम्बर 150, 151 के लगभग 10 फुट हिस्सा खसरा नम्बर 148 के लगता है जबकि विचारण न्यायालय ने खसरा नम्बर 148 में रास्ते में आने वाली भूमि के बदलने भूमि देने का निर्णय पारित किया जबकि खसरा नम्बर 148 के अलावा रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 होशियार सिंह की कोई भूमि नहीं लगती है इसलिये रास्ते की भूमि के बदले भूमि देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता इस तथ्य पर गौर किये बिना ही निर्णय पारित करने में विचारण न्यायालय ने गलती कानूनी की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रकरण में आवेदकगण को अपनी खातेदारी काश्तकारी भूमि में आने जाने हेतु एकमात्र खसरा नम्बर 148 व 236/149 की सीमा में से रास्ता उपलब्ध है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार मलसीसर की जांच रिपोर्ट से होती है। अनावेदकगण संख्या 1 व 2 जो भूमि खसरा नम्बर 148 व देने में सहमत है। आवेदकगण द्वारा भी रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले भूमि देने में सहमत है। अतः तमाम तथ्यों एवं आवेदकगण एवं अनावेदकगण के मध्य हुई सहमति के आधार पर विचारण न्यायालय ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए स्वीकार कर कोई विधिक त्रुटि नही की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 03.01.2023 के अनुसार सभी खातेदारान को पक्षकार बनाये जाने हेतु न्यायालय द्वारा प्रार्थी को आदेश 01 नियम 10 का आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। आगामी तिथि पर सभी खातेदारान पक्षकार संयोजित किये बिना विचारण न्यायालय द्वारा सीधे ही बहस सुनकर अंतिम निर्णय पारित किया गया है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा सभी सह खातेदारान को पक्षकार बनाये बिना सुनवाई किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि सभी सहखातेदारों को पक्षकार संयोजित कर जवाब प्राप्त कर पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.01.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 20.12.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर